



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,

Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA

Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900

Fax: 91-0522- 2668017,2668078

Ref: No. PGI/CMS/ 3555 /File RSD No.1011/F/ 2020

Date 18/11/ 2020

कार्यालय आदेश


शासनादेश संख्या-646/71-3-2020- कोविड-01/2020 दिनांक 22.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-774/71-3-2020-कोविड-06/2020 दिनांक 16.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 1207/71-3- 2020-कोविड-06/2020 दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन में इमरजेन्सी एवं सेमी इमरजेन्सी के मरीजों की जाँच हेतु निम्नवत् दरें प्रभावी होगी:-

(क) इमरजेन्सी एवं सेमी इमरजेन्सी के मरीजों की आर0टी0पी0सी0आर0 तथा ट्रू-नेट से कोविड-19 जाँच हेतु निम्नवत् उल्लिखित प्रकरणों में मरीजों की जाँच निःशुल्क होगी-

- I. Emergency में आने वाले मरीज।
- II. Flue OPD में आने वाले मरीज।
- III. आब्स गॉयनी में आने वाली महिला मरीज, जिनका प्रसव अथवा एल0एस0सी0एच0 होना है।
- IV. Cancer OPD में आने वाले ऐसे मरीजों की जाँच जिन्हें सिकाई अथवा लीनियर एक्सीलेटर की आवश्यकता है।
- V. Emergency में आने वाले ऐसे मरीजों के तीमारदार जिनका ऑपरेशन किया जाना है अथवा वार्ड में भर्ती किया गया हो।
- VI. जिन मेडिकल कालेजो/ संस्थानों में RTPCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज करते समय।
- VII. आकस्मिक परिस्थितियों में मेडिकल कालेजों/संस्थानों के प्रधानाचार्य/निदेशक के स्वविवेक पर।

(ख) नॉन कोविड उपचार के प्रकरणों में कोविड-19 की जाँच हेतु दरें निम्नवत् होगी-

- I (अ) आर0टी0पी0सी0आर0 कोविड टेस्ट फुल चार्ज-रु0 600 प्रति मरीज।
(ब) ट्रू-नेट चार्ज-रु0 1500 प्रति मरीज पूर्ववत् रहेगा।
- II आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन से जाँच किये जाने की स्थिति में निम्नवत् अंकित श्रेणियों में निःशुल्क/सब्सडाइज दरें निम्नानुसार होगी:-
(अ) डायलिसिस एवं कैंसर मरीजों (कैंसर ओ0पी0डी0 में आने वाले मरीजों की जाँच जिन्हें सिकाई अथवा लीनियर एक्सीलेटर की आवश्यकता है, के अतिरिक्त) तथा उनके एक अटेंडेंट के लिए कोविड जाँच की सब्सडाइज्ड आर0टी0पी0सी0आर0 कोविड टेस्ट चार्ज रु0 300/-प्रति मरीज।



3:55 PM

(ब) थैलीसीमिया एवं हीमोफीलिया के मरीज, आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत मरीज तथा जिन मरीजों का अन्य किसी योजनाओं में निःशुल्क उपचार हो रहा हो उनकी तथा उनके अटेण्डेण्ट की आर0टी0 पी0सी0आर0 कोविड जाँच निःशुल्क की जायेगी।

सब्सडाइज्ड तथा निःशुल्क दरें तभी लागू होगी, जब टेस्ट न्यूनतम 07 दिन के अन्तराल में किया जाये।

सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश दिनांक 02.11.2020 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

यह आदेश निदेशक महोदय के आदेशानुसार पारित किये जा रहे हैं।

(प्रो० अमित अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक।
2. अपर निदेशक।
3. चिकित्सा अधीक्षक।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को इस आशय से प्रेषित कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाईट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
6. इंचार्ज, आर0सी0एच0।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशा०)
8. वित्त अधिकारी।
9. समस्त नोडल आफिसर।
10. जन सम्पर्क अधिकारी।

(प्रो० अमित अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रेषक,
अमित गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इटावा।
- 2- निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोयडा/एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0 नोएडा।
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/आगरा/मेरठ/प्रयागराज/झाँसी/गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/बदायूँ/बांदा/सहारनपुर/आजमगढ़/जालौन/कन्नौज।
- 4- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2020

विषय-नॉन कोविड उपचार हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 तथा ट्रू-नेट मशीनों से कोविड-19 की टेस्टिंग दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-646/71-3-2020-कोविड-01/2020, दिनांक 22.06.2020 द्वारा सेमी इमरजेंसी में आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों की कोविड-19 की जाँच किये जाने हेतु रू0 1500 प्रति टेस्ट निर्धारित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-774/71-3-2020-कोविड-06/2020, दिनांक 16.07.2020 द्वारा मेडिकल कालेजों/संस्थानों में इमरजेंसी एवं सेमी इमरजेंसी के मरीजों की जाँच हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें आर0टी0पी0सी0आर0 तथा ट्रू-नेट मशीनों से निम्नवत् उल्लिखित प्रकरणों में मरीजों की निःशुल्क जाँच निर्धारित की गयी है:-

- I. Emergency में आने वाले मरीज।
- II. Flue OPD में आने वाले मरीज।
- III. आब्स गॉयनी में आने वाली महिला मरीज, जिनका प्रसव अथवा एल0एस0सी0एच0 होना है।
- IV. Cancer OPD में आनेवाले ऐसे मरीजों की जाँच जिन्हें सिकाई अथवा लीनियर एक्सीलेटर की आवश्यकता है।
- V. Emergency में आने वाले ऐसे मरीजों के तीमारदार जिनका ऑपरेशन किया जाना है अथवा वार्ड में भर्ती किया गया हो।
- VI. जिन मेडिकल कालेजों/संस्थानों में RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें Covid अस्पताल में भर्ती मरीजों को Discharge करते समय।
- VII. आकरिमक परिस्थितियों में मेडिकल कालेजों/संस्थानों के प्रधानाचार्य/निदेशक के स्वविवेक पर।


2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-646/71-3-2020-कोविड-01/2020, दिनांक 22.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-774/71-3-2020-कोविड-06/2020, दिनांक 16.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए नॉन कोविड उपचार के प्रकरणों में कोविड-19 की जाँच हेतु निम्नवत् दरें निर्धारित की जाती हैं:-

- I. (अ) RTPCR कोविड टेस्ट फूल चार्ज-रू0 600 प्रति मरीज।

Go/2020/Devendra




- (ब) ट्रू-नेट चार्ज—रु0 1500 प्रति मरीज पूर्ववत् रहेगा।
- ii. RTPCR मशीन से जाँच किये जाने की स्थिति में निम्नवत् अंकित श्रेणियों में निःशुल्क/सब्सडाइज दरें निम्नानुसार होगी:—
- (अ) डायलिसिस एवं कैंसर मरीजों (Cancer OPD में आने वाले ऐसे मरीजों की जाँच जिन्हें सिकाई अथवा लीनियर एक्सीलेटर की आवश्यकता है, के अतिरिक्त) तथा उनके एक अटेण्डेन्ट के लिए कोविड जाँच की सब्सडाइज्ड आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट चार्ज रु0 300—/प्रति मरीज।
- (ब) थैलीसीमिया एवं हीमोफीलिया के मरीज, आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत मरीज तथा जिन मरीजों का अन्य किसी योजनाओं में निःशुल्क उपचार हो रहा हो उनकी तथा उनके अटेण्डेन्ट की आरटीपीसीआर कोविड जाँच निःशुल्क की जायेगी।
- 3— सब्सडाइज्ड तथा निःशुल्क दरें तभी लागू होगी, जब टेस्ट न्यूनतम 07 दिन के अन्तराल में किया जाये।
उक्त शासनादेश दिनांक 22.06.2020 एवं 16.07.2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
- 4— यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रस्तर-1 के I से VII तक इंगित श्रेणियों में आर0टी0पी0सी0आर0 एवं ट्रूनेट से निर्धारित जाँचें पूर्व की भांति निःशुल्क की जाती रहेंगी।
कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित गुप्ता)
सचिव।

1207
संख्या— (1)/71-3-2020, तददिनांक।

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—
1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
 2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
 3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 4. मण्डलायुक्त, लखनऊ/कानपुर/मेरठ/आगरा/प्रयागराज/झॉसी/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली/चित्रकूटधाम बाँदा/सहारनपुर/आजमगढ़/बस्ती/देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
 5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ
 6. जिलाधिकारी, लखनऊ/इटावा/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/आगरा/मेरठ/प्रयागराज/झॉसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/बदायूँ/बाँदा/सहारनपुर/आजमगढ़/जालौन/कन्नौज/अयोध्या/बस्ती/बहराइच/शाहजहाँपुर।
 7. डा0 अमिता जैन, विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
 8. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

आज्ञा से,


(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।